

सं0 सं0—एस0आई0पी0बी0 201700167.....
सेवा में,

दिनांक— दिसम्बर, 2017

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय— मे0 अजन्ता प्रिन्टर्स, मोहम्मदपुर, ब्रतपुर, पटनासिटी, पटना में को 69 लाख सीट प्रतिवर्ष क्षमता का प्रिंटिंग जॉब की ईकाई की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में रु0 6,26000/- (मात्र छ: लाख छब्बीस हजार रुपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे0 अजन्ता प्रिन्टर्स, मोहम्मदपुर, ब्रतपुर, पटनासिटी, पटना को 69 लाख सीट प्रतिवर्ष क्षमता का प्रिंटिंग जॉब की ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की बैठक दिनांक 15-02-2017 में स्टेज-1 का तथा दिनांक 14.07.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन विलयरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई सामान्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक एस0आई0पी0बी0201700167 / 570 दिनांक 24.10.2017 के द्वारा श्री आर० के० उपाध्याय, उप निदेशक, तक0 / एस0 आई0 पी0 बी0 प्रभारी, बिहार, पटना एवं श्री उमेश कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 02.09.2016 से कार्यरत बताया गया है, अतः ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्रभावी तिथि दिनांक-01.09.2016 अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. मे0 अजन्ता प्रिन्टर्स, मोहम्मदपुर, ब्रतपुर, पटनासिटी, पटना के द्वारा प्रिंटिंग जॉब की ईकाई की स्थापना के निमित्त लिए गए टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में औद्योगिक नीति-2016 के आलोक में दिनांक-02.09.2016 से 30.09.2017 तक की अवधि के लिए रु0 6,26000/- (मात्र छ: लाख छब्बीस हजार रुपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगा।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय वहन “राज्यादेश सं0-1513, दिनांक-25.05.17 एवं आवंटनादेश सं0-15/आ०, दिनांक-29.05.17 के आलोक में मांग संख्या- 23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2852- उद्योग, उप मुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष- 0160- प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- 23.2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष- 0160.33 01 सब्सिडी में आवंटित राशि से की जाएगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान मे० अजन्ता प्रिन्टर्स, मोहम्मदपुर, ब्रतपुर, पटनासिटी, पटना को उनके State Bank of India, Branch-Rajendra Nagar Dinkar Chauraha, R Kumar Road, Patna में खाता संख्या-35881877932, IFS Code SBIN0001662 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक— दिसम्बर, 2017

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700167.....

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700167..... ३४३०

दिनांक—/५ दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700167..... ३४३०

दिनांक—/५ दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/ उप उद्योग निदेशक (श्री उपाध्याय) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-1 (सरकार) / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मे० अजन्ता प्रिन्टर्स, मोहम्मदपुर, ब्रतपुर, पटनासिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

/५—सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।